न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

अधिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

संख्याः 03/2025 दर्ज दिनांकः 02.05.2025

एमएसः 2025/ निर्णय दिनांकः 15.05.2025

श्रवण कुमार पुत्र छोटूसिंह जाति जाट निवासी पलसाना तह. दातारामगढ़ जिला सीकर।

......प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू राज

.... अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 110, 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत् पत्थरगढी</u>

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय दिनांकः 15/05/2025</u>

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली की सरहद में भूमि ख.नं. 2261 रकबा 0.7200 हैक्टर, ख.नं. 2262 रकबा 0.4200 हैक्टर, ख.नं. 5279/2225 रकबा 0.3300 हैक्टर, ख.नं. 5281/2227 रकबा 0.0700 हैक्टर, ख.नं. 5948/2261 रकबा 0.100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.6400 हैक्टर अवस्थित है। आवेदक की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेशानुसार दिनांक 5.4.2025 को पटवारी हल्का छापोली द्वारा उपर वर्णित भूमि का सीमाज्ञान किया गया जिससे आवेदक पूर्णतया सन्तुष्ठ है। आवेदक अपनी उक्त खातेदारी भूमि की आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए चार दिवारी करवाना चाहता है। जिससे आवेदक की खातेदारी भूमि की सुरक्षा हो सके इसलिए आवेदक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

अंत में निवेदन किया गया कि ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली की सरहद में भूमि ख.नं. 2261 रकबा 0.7200 हैक्टर, ख.नं. 2262 रकबा 0.4200 हैक्टर, ख.नं. 5279/2225 रकबा 0.3300 हैक्टर, ख.नं. 5281/2227 रकबा 0.0700 हैक्टर, ख.नं. 5948/2261 रकबा 0.100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.6400 हैक्टर भूमि के चारों ओर दिनांक 05.04.2025 के सीमाज्ञान के मुताबित पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी को दिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। तहसीलदार उदयपुरवाटी की तामिल पूर्ण मानी गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहराया तथा फर्द सीमाज्ञान दिनांक 05.04.2025 के अनुसार मौके पर न्ह कायम करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली की सरहद में भूमि ख.नं. 2261 रकबा 0.7200 हैक्टर, ख.नं. 2262 रकबा 0.4200 हैक्टर, ख.नं. 5279/2225 रकबा 0.3300 हैक्टर, ख.नं. 5281/2227 रकबा 0.0700 हैक्टर, ख.नं. 5948/2261 रकबा 0.100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.6400 हैक्टर भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना साबित है। प्रार्थी फर्द सीमाज्ञान दिनांक 05.04.2025 के अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाना चाहते है। प्रार्थी अराजियात का रिकार्डेड खातेदार है तथा अपनी भूमि की रक्षार्थ पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। उक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली की सरहद में भूमि ख.नं. 2261 रकबा 0.7200 हैक्टर, ख.नं. 2262 रकबा 0.4200 हैक्टर, ख.नं. 5279/2225 रकबा 0.3300 हैक्टर, ख.नं. 5281/2227 रकबा 0.0700 हैक्टर, ख.नं. 5948/2261 रकबा 0.100 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.6400 हैक्टर **भूमि के चारो ओर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 05.04.2025 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगढी करवावे तथा इस आशय की तहसीलदार उदयपुरवाटी को तहरीर जारी हो।**

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी